



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 8] नई दिल्ली, फरवरी 16—फरवरी 22, 2014, शनिवार/माघ 27—फाल्गुन 3, 1935
No. 8] NEW DELHI, FEBRUARY 16—FEBRUARY 22, 2014, SATURDAY/MAGHA 27—PHALGUNA 3, 1935

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2014

सा.का.नि. 31.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान (लेखाकार), भर्ती नियम, 1992 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान में लेखाकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान (लेखाकार) भर्ती नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
लेखाकार	01* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300— 34800 ₹ + ग्रेड वेतन 4200 ₹	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी		परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	
(7)		(8)		(9)	
लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता		प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा			
(10)		(11)			
प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है		प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :			
		केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त निकायों या लोक क्षेत्र के उपक्रमों या केन्द्रीय या राज्य विश्वविद्यालयों के अधीन ऐसा अधिकारी :-			

(11)

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ii) जिनकी मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, ₹ 5200-20200 जमा ग्रेड वेतन 2800 ₹ या समतुल्य श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् वहां छह वर्ष की सेवा है ; या

(iii) जिनकी मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, ₹ 5200-20200 जमा ग्रेड वेतन 2400 ₹ या समतुल्य श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् वहां आठ वर्ष की नियमित सेवा है ; और

(ख) जो सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान से रोकड़ और लेखा में या समतुल्य पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं और रोकड़ लेखा और बजट कार्य का 2 वर्ष का अनुभव रखते हैं ; या

केंद्रीय सरकार के किसी संगठित लेखा विभाग द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा सेवा या समतुल्य परीक्षा पास हो ।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा, जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

लागू नहीं होता

(13)

प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. 14034/49/2009-राभा (प्रशि.)]

सूरज भान, उप-सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**(Department of Official Language)**

New Delhi, the 11th February, 2014

G.S.R. 31.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute, (Accountant) Recruitment Rules, 1992, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Accountant in the Central Hindi Training Institute, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute (Accountant) Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matter relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with the respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Accountant	01* (2014) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band-2, ₹ 9300—34800 with Grade Pay of ₹ 4200	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made
(10)	(11)

By deputation including short term contract

Deputation (including short term contract) :

Officers of the Central Government or State Government or Union Territory Administration or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings or Central or State Universities :

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department :

or

(ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band-I, ₹ 5200-20200 with grade pay of ₹ 2800 or equivalent in the present cadre or department.

or

(iii) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band-I, ₹ 5200-20200 with grade pay of ₹ 2400 or equivalent in the present cadre or department ; and

(b) who have undergone training in cash and accounts work in the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent course and possessing two years' experience of cash, accounts and budget work ;

or

A pass in the Subordinate Accounts Service or equivalent examination conducted by any of the organised Accounts Department of the Central Government.

Note 1 : Period of deputation (including short term contract) including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2 : The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

(11)

Note 3 : For purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making the recruitment

(12)

(13)

Not applicable

Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation including short term contract.

[F. No. 14034/49/2009-OL (Training)]

SURAJ BHAN, Dy. Secy.